निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 759) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2024

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
8 अगस्त 2024

एस० ओ० 358, दिनांक 8 अगस्त 2024––बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–27) की धारा 24 की उपधारा (3क) तथा धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

<u>संशोधन</u>

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप–नियम (2) के खंड (क) में एक परन्तुक निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा–

''(क) परन्तु यह कि अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित ऐसे रिटेल आउटलेट, जो किसी ऑयल कंपनी के स्वामित्व में नहीं हों, एवं जिनके द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बिहार राज्य में निबंधित व्यवसायियों से खरीदे गये मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) या हाई स्पीड डीजल ऑयल की बिक्री बिहार राज्य में की गयी हो, त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने के दायी नहीं होंगे।''

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० बिक्री–कर/संशोधन–02/2024–3494)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

8 अगस्त 2024

एस० ओ० 358, दिनांक 8 अगस्त 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री–कर/संशोधन–02/2024–3494)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 8th August 2024

S.O. 358, Dated The 8th August 2024— In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of Section 24 and sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005, (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following further amendment in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 (as amended from time to time).

Amendment

A proviso shall be inserted in clause (a) of sub-rule (2) of Rule 19 of Bihar Value Added Tax Rules, 2005 namely:-

> "Provided that such retail outlets, not owned by any oil company, registered under the Act and who have effected sales of motor spirit (petrol) or high speed diesel oil within the State of Bihar purchased from the dealers registered in the State of Bihar under the Act, shall not be liable to file quarterly return."

2. This notification will come into effect from the date of its notification.

[(File No. Bikri-kar/sansodhan-02/2024-3494)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 759-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in